संख्या–1296 /उन्तीस(2)/17–2(74 पे0)/2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 29 मई,2018

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में पेयजल योजनाओं के दैवीय आपदा, अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 39/वि0अनु0/ 02/ शा0 अनु0 /2018–19दिनांक 04 अप्रैल,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विभिन्न जनपदों में दैवीय आपदा, अतिवृष्टि एवं बादल फटने की घटनाओं से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं पर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 200.00लाख(रू0 दो करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग राज्य के विभिन्न जनपदों में दैवीय आपदा अविृष्टि एवं बादल फटने की घटनाओं से क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं पर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू किये जाने हेतु ही किया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले

कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(viii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(ix) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(x) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01– जलापूर्ति–800–अन्य व्यय–08–पेयजल योजनाओं के दैवीय आपदा, अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु अनुदान–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H 1805132913 दिनांक 28 मई,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3 (150)-2017/ XXVII (1) /2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या–1296. (1)/उन्तीस(2)/18–2(74 पे0)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
9. मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिह चौहान)
संयुक्त सचिव